शिवशरणप्पा और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(की आपराधिक अपील सं. 1366/2007 आदि)

7 मई, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 एस. एस.143,147,448,302 और 201 आर/डब्ल्यू। एस 149 – अभियोजन के तहत-निचली अदालत द्वारा इस आधार पर दोषमुक्त किया जाना कि गवाहों के अव्यवहारिक व्यवहार को देखते हुए, अभियुक्त को उनके साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया - अभिनिर्धारित ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के अव्यवहारिक आचरण को देखते हुए उनके साक्ष्य पर सही ही अविश्वास किया। वहां पर दोषमुक्त किए जाने के फैसले को उलटने के लिये कोइ बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं थी -उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश को अपास्त कर दिया गया।

अपील-आपराधिक अपील--दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ- क्षेत्र अभिनिर्धारित : दोषमुक्त किये जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ दोषमुक्ति, व्यापक समीक्षा और पुनर्विचार के लिए पूर्ण है।

साक्ष्य और दोषमुक्त में हस्तक्षेप -लेकिन इस तरह हस्तक्षेप पूर्ण अपराध् बोध के आश्वासन के आधार पर होना चाहिए , और इस आधार पर नहीं कि कोई अन्य संभावित दृष्टिकोण या अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता है।

गवाहः

बाल गवाह पर निर्भरता-अभिनिर्धारित बालक की गवाही यदि विश्वसनीय, खरी व पुष्टकारी हो तो दोषसिद्धि के लिए आधार मानी जा सकती है-हालाँकि, पुष्टि अनिवार्य नहीं है, लेकिन सावधानी के नियम के रूप में इसका पालन किया जाना चाहिए।

गवाह का व्यवहार - की प्रासंगिकता- गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए-अभिनिर्धारित : गवाहों का व्यवहार या उनकी प्रतिक्रियाएँ परिस्थिति दर परिस्थिति और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती हैं। लेकिन यदि व्यवहार बिल्कुल अव्यवहारिक है, तो गवाह की गवाही न ही विश्वास के योग्य हो सकती है और न ही स्वीकृति योग्य होती है।

अपीलार्थी अभियुक्त अंतर्गत धारा 143 , 147 , 448 , 302 और 201 संपठित धारा 149 आईपीसी. में अभियोजित किया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक और उसकी सास (अभियुक्त /बाद में मृतक) के बीच किसी भूमि को लेकर विवाद था।

रात के दौरान, जब मृतक अपनी ग्यारह साल की बेटी (पीडब्लू-9) के साथ अपने पिता के घर में सो रही थी।, उसकी सास अपीलार्थियों-

अभियुक्तों के साथ आई और मृतक को जबरन अपने साथ ले गई और पीडब्लू-9 को धमकी दी। अभियुक्तगण के चले जाने के बाद, पीडब्लू-9 अपनी नानी (पीडब्लू- 7) के पास गई। जो उस समय अपनी दूसरी बेटी के साथ रह रही थी, और उसे घटना के बारे में बताया। पीडब्लू 7 और 9 ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। घटना के दो दिन के बाद मृतक का शव कुएं में मिला। मृतक की सास की मृत्यु के कारण उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त किया गया। निचली अदालत द्वारा पीडब्लू-7 के अव्यवहारिक व्यवहार को देखते हुए व घटना के बारें में किसी को भी सूचित नहीं करने के कारण सभी अभियुक्तों को दोषमुक्तकर दिया गया। बाल गवाह की एकमात्र गवाही (पीडब्लू-9) के कारण उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया व आजीवन कारावास की सजा सुनाइ। इसलिए, वर्तमान अपील पेश की गई :

न्यायालय द्वारा अपील को मंजूरी देते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 . न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ एक अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की जांच करे और कभी-कभी उच्च न्यायालय के लिये ऐसा करने का दायित्व होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान में ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति कम नहीं होती है साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन और

पुनर्विचार करते समय जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश आधारित है, कुछ अन्य पहलुओं से संबंधित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। उच्च न्यायालय को यह भी देखने की आवश्यकता है कि जब तक सारभूत और बाध्यकारी परिस्थितियाँ न हों, तब तक दोषमुक्त किए जाने के आदेश को अपील में पलटने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 12][1114-डी-ई;1115-बी-सी]

शिवाजी साहेबराव बोबडे और अन्र। बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622: 1974 (1) एससीआर 489; गिरिजा एलआर द्वारा प्रसाद (मृत)। बनाम एम. पी. राज्य (2007) 7 एस. सी. सी 625: 2007 (9) एस. सी. आर. 483; गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755: 2007 (3) एस. सी. आर. 507; चंद्रप्पा बनाम राज्य कर्नाटक (2007) 4 एससीसी 415: 2007 (2) एस. सी. आर. 630; राज्य राजस्थान बनाम शेरा राम उर्फविष्णु दत्ता (2012) 1 एस. सी. सी. 602: 2011 (15) एससीआर 485-पर निर्भर।

1.2. यह सही है कि दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां साक्ष्य की समीक्षा , पुनर्विचार करने और दोषमुक्त करने में हस्तक्षेप करने की प्रकृति व्यापक और पूर्ण हैं। लेकिन अदालत को अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर पता लगाना चाहिए। यह

नहीं कि एक और संभावित और अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता है । [पैरा 20] [1119-ई-एफ]

2. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लूएस-7 और 9 की गवाही से संबंधित निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया है और आगे इसका तर्क इस आधार पर किया कि मृतक और उसकी माँ के बीच संपत्ति का विवाद था, जो अपराध करने के लिए आश्य प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि एकमात्र बाल गवाह के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। घटना के समय पीडब्लू-9 ग्यारह वर्ष का था। उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को स्वीकार कर किया है पीडब्लू-9 (मृतक की बेटी) और पीडब्लू-7 (मृतक की मां) दोनों धमकी व डर की स्थिति में थे। इसके विपरीत निचली अदालत ने दोनों के गवाहों के आचरण को (घटना की जानकारी किसी को नहीं देने में) अत्यधिक अव्यवहारिक होना पाया।। उच्च न्यायालय ने इसका उतरदायी कारण बताया है कि पीडब्लू-7 संभवतः मृतक-बेटी की प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी और इसलिए उसने दूसरी बेटी और दामाद को सूचित नहीं किया । [पैरा 13,17 और 20] [1115 सी-ई; 1117-डी-ई; 1119-बी-सी]

3. अदालत बालक की गवाही पर भरोसा कर सकती है। और यह गवाह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है यदि वह विश्वसनीय, सच्चा है और रिकॉर्ड पर लाये गये अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती हाे। किसी दोषसिद्धि को किये जाने के लिये पुष्टि करना आवश्यक नहीं है लेकिन सावधानी के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि देखना वांछनीय समझती है। वे सिद्धांत जो एकमात्र साक्ष्य पर निर्भरता रखने के लिए लागू होते हैं अर्थात्, कि जो कथन सत्य और सही है और गुणवत्ता का है और केवल पुष्टि की कमी के आधार पर त्याग नहीं किया जा सकता है, (एक बाल साक्ष्य पर लागू होता है जो सक्षम है और जिसकी मूल साक्ष्य विश्वसनीय है [पैरा 16] [1116-डी-एफ]

दत्तू रामराव सखारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1997) 5 एस. सी. सी. 341; पंची और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 177: 1998 (1) पूरक एससीआर 40; यू. पी. बनाम राज्य अशोक दीक्षित और अन्र। (2000) 3 एससीसी 70: 2000 (1) एससीआर 855 - पर भरोसा किया।

4.1. गवाहों का व्यवहार या उनकी प्रतिक्रियाएँ, स्थिति दर स्थिति और व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होगी गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता की अपेक्षा अवास्तविक होगी लेकिन मानव आचरण की अप्रत्याशितता और

एकरूपता की कमी को ध्यान में रखते हुए, चाहे मामले की परिस्थितियां हो, व्यवहार स्वीकार्य है। मानव, व्यवहार स्वीकार्य रूप से प्राकृतिक है जो भिन्नताओं की अनुमति देता है। यदि व्यवहार बिल्कुल अव्यवहारिक है, तो गवाह की गवाही विश्वास और स्वीकृति के योग्य नहीं हो सकती है। [पैरा 20] [1118-एफ-जी]

गोपाल सिंह और ओआरएस। बनाम मध्य प्रदेश राज्य(2010) 6 एससीसी407: 2010 (6) एस. सी. आर. 1062; राणा प्रताप और ओआरएस बनाम हरियाणा राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 327; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मस्त राम (2004) 8 एससीसी 660: 2004 (4) पूरक। एस. सी. आर. 269; लाहू कमलाकर पाटिल और अन्न बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 (12) स्केल 710- पर विश्वास व्यक्त किया गया।

4.2. वर्तमान मामले में यह भय रहा होगाा जैसा कि कथन किया गया है कि मृतक कि सास उसे जबरदस्ती लेकर गयी थी। लेकिन यह सामान्य व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है कि पीडब्लू-7 (मृतक की माँ) ने खामोशी बनाए रखी और दूसरों को सूचित नहीं किया । उसने लगभग दो दिनों तक किसी को नहीं बताया और परिवार में, गाँव में या पुलिस स्टेशन गए बिना अपनी बेटी की तलाश करना उचित क्यों समझा। तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने उक्त गवाहों के आचरण को अव्यवहारिक मानना उचित समझा और इसलिए उन्होंने महसूस किया

कि अभियुक्तगण को उनकी गवाही के आधार पर दोषी ठहराना असुरक्षित था । यह एक सराहनीय दृष्टिकोण था और दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटने के लिये कोइ बाध्यकारी परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है [पैरा 20] [1119-बी-ई]

संदर्भित निर्णयजन्य विधि-

1974(1)एससीआर 489	विश्वासव्यक्त किया गया	पैरा 10
2007(9)एससीआर 483	विश्वासव्यक्तकियागया	पैरा 11
2007(3)एससीआर 507	विश्वासव्यक्त किया गया	पैरा 11
2007(2)एससीआर 630	विश्वासव्यक्त किया गया	पैरा 12
2011(15)एससीआर 485	विश्वासव्यक्तकिया गया	पैरा 12
(1997)5 एससीसी 341	विश्वास व्यक्त किया गया	पैरा 13
1998(1)पूरक।एस.सी.आर.40	विश्वासव्यक्तकियागया	पैरा 14
(1992)4 एससीसी225	विश्वास व्यक्त किया गया	पैरा 14
1993 पूरक(3)एस.सी.सी.667	विश्वास व्यक्त किया गया	पैरा 14
1996(1)पूरक।एस.सी.आर.174	विश्वास व्यक्त किया गया	पैरा 14
2000(1)एससीआर 855	विश्वासव्यक्त किया गया	पैरा 15
2010(6)एससीआर 1062	विश्वासव्यक्तकिया गया	पैरा 17

(1983) 3 एस. सी. सी. 327 विश्वास व्यक्त किया गया पैरा 18

2004(4)पूरक।एससीआर 269 विश्वास व्यक्त किया गया पैरा 19

2012 (12) स्केल 710 विश्वास व्यक्त किया गया पैरा 19

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं.1366, 2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय, की आपराधिक अपील संख्या 937/1999 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 28.10.2005 से ।

के साथ

आपराधिक अपील सं. 508/2007 ।

पी. आर. रामासेश अपीलार्थियों की ओर से।

अनीता शेनॉय, विश्रुति विजय प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा,जे.द्वारा पारित किया गया : ,

1. बैंगलोर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं.937/1999 में दिनांक 28.10.2005 के समान निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दो अपीलें दायर की गयी। जिसके तहत डिवीजन बेंच नें दोषमुक्त किए जाने के फैसले को उलट दिया जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुलबर्गा, द्वारा एस. सी. सं. 100/1995 में सभी अभियुक्तगण् को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा

143,147,448,302,201 संपठित धारा 149 के तहत उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी और अभियुक्तों को दोषी ठहराया। उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी, को आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने का भुगतान न करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा की गइ । अन्य अपराधों के लिये , उच्च न्यायालय द्वारा कोई अलग से सजा नहीं दी गई थी।

2. अनावश्यक विवरण के बिना, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक करेम्मा, निंगावा के पुत्र मल्लिनाथ की पत्नी थी। मल्लिनाथ के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद, मृतक की सास निंगावा और मृतक करेम्मा के बीच भूमि संपत्ति से संबंधित विवाद उठा, जो शुरू में मल्लीनाथ् के नाम पर थी और बाद में प्रविष्टियाँ मृतक करेम्मा के नाम पर की गई क्योंकि वह उसके कब्जे में थी। संपत्ति से संबंधित विवाद जो मानव जाति के लिए प्रिय रहा है क्योंकि यह गरीबी के विपरीत खड़ा है, जिसे कभी-कभी बडी आपदा का कारण भी माना जाता है। अतंतः जैसा कि अभियोजन पक्ष् ने आरोप लगाया है जो इसे विकृत रूप की ओर ले जाता है। 12 और 13 जून, 1994 की मध्यरात्रि को, अभियुक्त-निंगावा ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मृतक के पिता शंकरप्पा के घर के सामने एक विधिविरूद्व जमाव का गठन किया जिसका उद्देश्य हत्या करना और हत्या को अंजाम देना

था। उक्त सामान्य उद्देश्यके निष्पादन में, उन्होंने शंकरप्पा की अनुपस्थिति में उनके घर में अतिचार किया जहाँ मृतक करेम्मा अपनी बेटी जगदेवी के साथ सो रही थी। इसके बाद अभियुक्तों ने घर में घुसकर मृतका के साथ मारपीट की व ग्यारह वर्षीय लड़की, जगदेवी को धमकी दी, और मृतका को जबरदस्ती ले गए। माँ को जबरदस्ती घर से ले जाने के बाद जगदेवी ने अपनी नानी , चंदम्मा को सूचित किया, जो उस समय दूसरी बेटी के घर में रह रही थी। जग्गदेवी द्वारा सूचित किए जाने पर चंदम्मा मृतक के घर आई और अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन, अंततः, यह व्यर्थ की कवायद साबित हुइ।

3. जैसे-जैसे अभियोजन पक्ष की कहानी आगे बढ़ती गई, अभियुक्तगण ने मृतक करेम्मा की हत्या कर दी और उसके शव को बेनूर गाँव के एक कुएँ में फेंक दिया। मृत शरीर 15.6.1994 को पाया गया और उसके बाद, दशरथ, पीडब्लू-10 ने संबंधित पुलिस स्टेशन में इस तथ्य की सूचना दी। 16.6.1994 पर जाँच अधिकारी कुएँ के पास गए और मृतक के शव को कुएँ से निकाला। प्रदर्श् पी-7 के अनुसार मृत शरीर की जांच की। प्रदर्श् पी-8 और प्रदर्श् पी-10, के अनुसार घटनास्थल का पंचनामा बनाया। कुछ सामान जब्त किया गया कुछ अन्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए और, अंततः रात में लगभग 8 बजे, नेलोगी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 29/94 के बाबत स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया। जाँच पूरी करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप

पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद में इसे सुनवाइ के लिए सत्र न्यायालय को अग्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण ने आरोपों को झूठा बताया तथा अपराध से इंकार किया और अन्वीक्षा चाहने का कथन किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर लाए गए 17 गवाहों ,(पी-1 से पी-17 और एम. ओ. 1 से 9)को प्रस्तुत किया । बचाव पक्ष ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की, लेकिन जिरह के दौरान पीडब्लू-7 और पीडब्लू-10 के बयानों के कुछ हिस्से को चिह्नित किया गया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, मृतक की सास (आरोपी निंगावा)की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त किया गया।

6. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने इसके लिए चार प्रमुख बिंदु विरचित किये-

(i) क्या अभियुक्तगण् द्वारा करेम्मा की हत्या करने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ एक विधिविरूद्व जमाव का गठन किया गया था ;

(ii) क्या अभियुक्तगण ने शंकरप्पा के घर में अतिचार किया था;

(iii) क्या अभियुक्तगण् ने सबूतों को मिटाने के लिए शव को बेनूर गाँव स्थित कुएं में फेंक दिया था ;

(iv) क्या अभियुक्तगण् का हत्या करने का कोई आशय था ;

रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु मानव वध के रूप में थी; (पीडब्लू-10, दशरथ द्वारा दर्ज पी-6, के अनुसार।, दशरथ द्रारा दर्ज बयानों के आधार पर कुछ भी पता नहीं चल पाया कि मृतका कुएं में कैसे गिरी थी। एकमात्र जगदेवी, पीडब्लू-9 गवाही पर दोषसिद्धि दर्ज करना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण उसके कथन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ; कि चंदम्मा, पीडब्लू-7 के आचरण को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह अपेक्षित सामान्य मानव व्यवहार से , काफी अव्यवहारिक था क्योंकि चंदम्मा नें पीडब्लू-7 से घटना के बारे में जानने के बाद भी किसी को भी घटना के बारे में सूचित नहीं किया और अभियुक्तगण को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार, उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्तकर दिया।

7. उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि मृतक और उसकी सास के बीच संपत्ति विवाद था अपराध को अंजाम देने के आश्य को अभियोजन पक्ष् द्रारा स्पष्ट कर दिया गया था, घटना के समय, मृतक की बेटी जगदेवी, मृतक के साथ रह रही थी; मृतक के पिता शंकरप्पा ने अपने बेटे के साथ गाँव छोड़ दिया था और घटना के प्रासंगिक समय के दौरान शोलापुर में रह रहे थे; पी. डब्ल्यू.-6 की पत्नी चंदम्मा, जो सुसंगत समय पर एक अन्य बेटी के घर में रह रही थी को

पीडब्लू-9 द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था एवं विद्वत विचारण न्यायाधीश ने पीडब्लू-7 की गवाही को इस आधार पर अस्वीकार करके गलती की थी कि उसने गाँव में किसी को भी घटना के बारे में सूचित नहीं किया था; जब मृतक को जबरन घर से निकाला गया था। पीडब्लू-7 को यह अंदेशा नहीं था कि मृतक की हत्या कर दी जाएगी और इसलिए, वे मृतक की तलाश करते रहे। पीडब्लू-9 को अभियुक्तगण् को देखने का मौका मिला क्योंकि वहां प्रकाश को स्त्रोत था व रोशनी उपलब्ध थी जिस पर विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा अनुचित रूप से अविश्वास किया गया; जगदेवी, एक ग्यारह वर्षीय लड़की, अभियुक्तगण् द्वारा दी गई धमकी के कारण शोर नहीं मचा सकती थी और पीडब्लू-9 के साक्ष्य को पूर्ण विश्वासनीयता दी जानी चाहिए और, इसलिए, सुरक्षित रूप से इस पर भरोसा किया जा सकता है कि पीडब्लू-9 की ओर से उसकी दादी निंगावा सहित आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था। पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 की प्रतिक्रियाओं को विचारण न्यायालय द्वारा अव्यवहारिक नहीं किया माना जाना चाहिए , क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक स्थिति के प्रति अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि मानव व्यवहार अलग होता है और परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है; चूंकि पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 अभियुक्तगण् से भयभीत थे, इसीलिये वे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सके और उन्हें इस तथ्य से समर्थन मिला कि मृतक के शव की बरामदगी के बाद जांच

अधिकारी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया; हालांकि जाँच अधिकारी द्वारा कुछ गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने में देरी हुई थी, फिर भी इसे अभियोजन में कोइ बाधा नहीं माना जाना चाहिए था विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण सही नहीं था और उनके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सराहनीय नहीं था जिसे उलट दिया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण के चलते, उच्च न्यायालय ने निर्णय को रद्द कर दिया, अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाइ जैसा कि पहले कहा गया है।

8. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील श्री पी. आर. रामासेश और प्रतिवादी-राज्य के लिये वकील सुश्री अनीता शेनॉय को सुना।

9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री रामासेश का पहला तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को यह अभिनिर्धारित करके अस्थापित कर दिया कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण अतार्किक है।उनका आगे कहना है कि उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की असामान्य तरीके से समीक्षा की है जो अस्वीकार्य है। राज्य की विद्वान वकील सुश्री अनीता शेनॉय ने तर्क दिया कि यदि साक्ष्य मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष् पूरी तरह से विकृत है तो दोषमुक्त करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि एकमात्र चश्मदीद

गवाह, जगदेवी, पीडब्लू-9 के साक्ष्य पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विश्वास किया गया।

10. इस प्रकम पर, हम शिवाजी साहेबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र AIR 1973 SC 2622 राज्य उक्ति का उल्लेख कर सकते हैं

जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार राय दी हैः

> " ..... अपीलीय न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने की पूर्ण शक्ति पर कोई बंधन नहीं हैं अपीलीय न्यायालय उस पूरे साक्ष्य की समीक्षा करेगा जिस पर दोषमुक्त करने का आदेश आधारित है और वास्तव में, इसका कर्तव्य है कि वह नए सिरे से संभावित सामग्री की जांच करे। सूचित किया गया, हालाँकि, इस ठोस विचार से यह सूचित किया गया कि अभियुक्तों के निर्दोषिता को दोषमुक्त में परिवर्तित कर दिया गया । व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये हमारे न्यायशास्त्र का सम्मान उच्च न्यायालय को ठोस कारणों और व्यापक विचार के बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के लिये बाध्य नहीं करता है।

11. गिरिजा प्रसाद में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है। (मृत) एलआरएस बनाम एमपी राज्य (2007) 7 एससीसी 625। और गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान (200) 3 एससीसी 755।

12. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य की जांच करे और कभी-कभी ऐसा करना उच्च न्यायालय का दायित्व है। दंड प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान द्वारा शक्ति में कटौती नहीं की गई है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिन साक्ष्यों पर दोषमुक्त का आदेश आधारित है, उनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करते हुए, कुछ अन्य पहलुओं से संबंधित अन्य सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उक्त पहलुओं को चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य(2007) 4 एस. सी. सी. 415। में समाहित किया गया है। जो निम्नानुसार हैः -

> " (4) तथापि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्तहोने के स्थिति मे अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरे, अभियुक्त द्वारा दोषमुक्त होने के बाद, उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी मजबूत, और प्रबल किया गया है।

(5) यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं तो- अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है, कि जब तक कि ठोस और बाध्यकारी परिस्थितियां न हों, दोषमुक्तकरने के आदेश को अपील में उलटने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान राज्य बनाम वी. शेरा राम उर्फ विष्णु दत्ता (2012)1 एससीसी 602। में ऐसा कहा गया है।

13. उच्च न्यायालय के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उसने पीडब्लू-7 और 9 की गवाही से संबंधित विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया है आगे अपने तर्क को इस आधार पर आधारित किया है कि मृतक और उसकी सास के बीच संपत्ति विवाद था, जिसे अपराध करने का उद्देश्य बताया है। उच्च न्यायालय ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि बाल गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को आपातित किया जा सकता है। यह विवाद नहीं है कि पीडब्लू-9, जगदेवी, घटना के समय वह ग्यारह वर्ष की थी। दत्तू रामराव सखारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य(1997) 5 एससीसी 341।, मे दस साल के गवाह की विश्वसनीयता के साथ, न्यायालय ने राय दी कि एक बाल गवाह, यदि तथ्यों का बयान करने, गवाही देने के लिए सक्षम और

विश्वसनीय पाया जाता है तो ऐसा साक्ष्य सजा का आधार बन सकता है एक बाल गवाह का साक्ष्य और विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एकमात्र सावधानी जो एक बाल गवाह के साक्ष्य के आकलन के दौरान अदालत को ध्यान में रखनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और रटाये या पढ़ाये जाने की कोई संभावना नहीं है

इसके बाद, न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए बताया कि ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि प्रत्येक मामले में दोषसिद्वि से पहले इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि की जानी चाहिए, लेकिन सावधानी के नियम के रूप में, अदालत हमेशा अभिलेख पर अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से इसकी पुष्टि करना वांछनीय समझती है।

14. पंची और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(1998) 7 एससीसी 177 । इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः -

> "अदालतों ने अभिनिर्धारित किया कि किसी बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून की तुलना से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है (प्रकाश बनाम एम. पी. राज्य(1992) 4 एससीसी 225।बेबी कंदायनाथिल बनाम केरल राज्य 1993

पूरक (3) एस. सी. सी. 667, राजा राम यादव बनाम बिहार राज्य(1996) 9 एससीसी 287। और दत्तू रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य"।

15. यू. पी. राज्य बनाम अशोक दीक्षित और अन्य (2000) 3 एस. सी. सी. 70 में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

16. इस प्रकार, यह सुस्थापित विधि है कि अदालत एक बाल गवाह की गवाही पर भरोसा कर सकती है और यह दोषसिद्वी का आधार बन सकता है यदि वह विश्वसनीय है, सत्य है और अभिलेख पर लाए गए अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि होती है । हालांकि दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पुष्टि आवश्यक नहीं है, लेकिन सावधानी के नियम के रूप में, अदालत अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि करना वांछनीय समझती है

गवाह के एकामात्र बयान पर भरोसा करने के लिए जो सिद्धांत लागू होते हैं, अर्थात्, साक्ष्य सत्य और सही है और गुणवत्ता का है और केवल पुष्टि की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, वह उस बाल गवाह पर लागू होता है जो सक्षम है और जिसका कथन विश्वसनीय है।

17. पीडब्लू-7 और 9 के कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण् उपरोक्त तथ्यों पर किया जाना है और यह देखा जाना चाहिये कि क्या अन्य परिस्थितियां अभियोजन पक्ष का समर्थन करती है या इसे अलग तरीके से

कहें तो, क्या रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों का अपराध साबित करते हैं। मृतक की बेटी पीडब्लू-9 ने साक्ष्य दी है कि आरोपी अपीलार्थियों को उसकी दादी, निंगावा द्वारा उकसाये जाने को देखा जिन्होंने जबरन उसकी माँ को बाहर निकाला था । जैसा कि परिलक्षित होता है, वह तुरंत अपनी नानी के घर पहुंची और उन्हें यह बात बताई। जिरह में पता चला कि उसकी नानी अपनी दूसरी शादीशुदा बेटी के साथ रह रही थी और दोनों बेटी और दामाद घर पर थे। उसने उन्हें घटना के बारे में सूचित करना उचित नहीं समझा।यह स्पष्ट है, कि नानी पीडब्लू-7, अपनी पोती पीडब्लू-9 के साथ मृतक के घर आइ और उसकी तलाश करने की कोशिश की। इसके बावजूद खोज के प्रयास अप्रभावी होने के कारण, उसने चुप रहना चुना और किसी को भी सूचित नहीं करना उचित समझा। हाई कोर्ट ने इन दोनों गवाहों के साक्ष्य को दो बिंदुओं पर स्वीकार किया, अर्थात्, बेटी को धमकी दी गई थी और वे दोनों डर की स्थिति में थे। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने, दोनों गवाहों के आचरण को अत्यधिक अव्यवहारिक पाया गया था। गोपाल सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 6 एससीसी 407। वाले मामले में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत नहीं था जिसने एक कथित चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसका आचरण अव्यवहारिक था और ऐसा मानते हुए, निम्ननानुसार टिप्पणी कीः -

"हमने यह भी पाया है कि उच्च न्यायालय ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में फेरन सिंह, पीडब्लू 5 के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसका व्यवहार अव्यवहारिक था क्योंकि उसने गाँव में भागने का दावा किया था लेकिन उसने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी थी उसने इस घटना की जानकारी अपने माता-पिता और वहां मौजूद अन्य लोगों को नहीं दी और अपनी सुरक्षा के डर से इस संदिग्ध और अस्वीकार्य दलील पर कुछ घंटों के लिए गायब होने का फैसला किया।"

18. राणा प्रताप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य(1983) 3 एससीसी 327। वाले मामले में गवाहों के व्यवहार पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया हैः -

"हत्या का गवाह बनने वाला हर व्यक्ति अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देता है कुछ स्तब्ध हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं और जडवत खड़े हो जाते हैं कुछ लोग उन्मादी हो जाते हैं, कुछ लोग मदद के लिए आवाज लगाते हैं। अन्य लोग स्वयं को उस स्थान से यथासंभव दूर रखने का प्रयास करते हैं फिर भी कुछ लोग पीड़ित को बचाने के लिए आगे आते हैं यहां तक कि हमलावरों पर जवाबी हमला करने की हद तक भी चले जाते हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया का कोई

निर्धारित नियम नहीं है। किसी साक्ष्य को इस आधार पर खारिज करना कि उसने किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दी, पूरी तरह से अवास्तविक और अकल्पनीय तरीके से साक्ष्य का मूल्यांकन करना है।

19. एच. पी. राज्य बनाम मस्त राम(2004) 8 एससीसी 660। वाले मामले में ,यह कहा गया है कि ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है कि किसी को एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक प्रतिक्रिया अप्रत्याशित है। हर कोई अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है और इसलिए, स्वाभाविक मानव व्यवहार को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना कठिन है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी तरह का दृष्टिकोण लाहू कमलाकर पाटिल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 (12) स्केल 710। में दोहराया गया।

20. इस प्रकार, गवाहों का व्यवहार या उनकी प्रतिक्रियाएं स्थिति से स्थिति और व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होंगी।गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता की अपेक्षा अवास्तविक है लेकिन अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती कि मानव आचरण की अप्रत्याशितता और मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता की कमी को भी ध्यान में रखते हुए चाहे मामले की परिस्थितियां हो, व्यवहार स्वीकार्य है विविधताओं की अनुमति देना स्वाभाविक है। यदि व्यवहार बिल्कुल अव्यवहारिक है, तो गवाह की गवाही

विश्वास और स्वीकृति के योग्य नहीं हो सकती है। मौजूदा मामले में, पीडब्लू-9 को धमकी दी गई थी जब उसकी माँ को जबरन ले जाया गया लेकिन उसने रात में अपनी नानी के पास जाने की हिम्मत दिखाइ जो लगभग पचास साल की थी। घटना के बारे में पता चलने के बाद, यह बात सामान्य प्रज्ञा के विपरीत है कि पीडब्लू-7 ने, मृतका के उसकी सास द्वारा अपहरण के बारे में अपनी दूसरी बेटी दामाद को नहीं बताया । उच्च न्यायालय ने इसका कारण बताया है कि पीडब्लू-7 संभवतः मृतक-बेटी की प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी और इसीलिए उसने दूसरी बेटी और दामाद को सूचित नहीं किया। इसके अलावा, भय कारक को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से, उसे डर था क्योंकि, जैसा कि आरोप लगाया गया है, सास द्वारा मृतका को जबरन ले जाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है कि उसने मौन बनाए रखा और दूसरों को सूचित नहीं किया । यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसने लगभग दो दिनों तक किसी को नहीं बताया और न ही उसने परिवार में, घर में गाँव में या पुलिस स्टेशन जाए बिना अपनी बेटी कि तलाश करना क्यों उचित समझा।इस तथ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उक्त गवाहों के आचरण काे अव्यवहारिक मानना पूरी तरह से उचित था और इसलिए, उन्होंने महसूस किया कि अभियुक्तगण् को उनकी गवाही के आधार पर दोषी ठहराना असुरक्षित था । यह एक सराहनीय दृष्टिकोण था और दोषमुक्तकिए जाने के निर्णय को

उलटने की कोइ बाध्यकारी परिस्थितियाँ नहीं थी। यह सच है कि दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत की शक्तियाँ साक्ष्यों की समीक्षा और पुनर्विचार करने और दोषमुक्त करने में हस्तक्षेप करने के लिए व्यापक और पूर्ण प्रकृति की हैं, लेकिन न्यायालय को अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर अपराध का पूर्ण आश्वासन मिलना चाहिए, यह नहीं कि यह एक और संभावित या भिन्न दृष्टिकोण ले सकता है।

21. उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपराधिक अपील संख्या 937/1999 में पारित दोषसिद्धि के फैसले को अपास्त कर दिया जाता है और अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें उनके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं

के.के.टी. अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमान अनवर अहमद चौहान विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो संख्या ०३ पाली (राज.) (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।